

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 337]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 8, 2016/माघ 19, 1937

No. 337]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 8, 2016/MAGHA 19, 1937

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2016

का. आ.392(अ).— केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) में दिनांक 29 अप्रैल, 2014 को प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की दिनांक 29 अप्रैल, 2014 की अधिसूचना का. आ. संख्या 1166(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना में “केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 8 के खण्ड (ख) के अन्तर्गत नियुक्त” शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 3 और 4 के सामने निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

क्र. सं. 3. संयुक्त सचिव, भारत सरकार

[सामाजिक सुरक्षा प्रभाग – क.रा.बी. निगम से संबंधित]

श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली।

क्र. सं. 4. श्री के. दिलीप कुमार, पूर्व-सदस्य तेलंगाना विधायी परिषद,

11-13-11/3, द्वार संख्या 79, मार्ग संख्या 2,

अल्कापुरी, हैदराबाद-500035. दूरभाष: 9963027577.

[सं. यू-16012/03/2013-सासु-I)]

जी. वेणूगोपाल रेड्डी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th February, 2016

S. O. 392(E).—In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour & Employment S.O.No.1166(E) dated 29th April, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 Sub-section (ii) dated the 29th April, 2014.

In the said notification under the heading "Appointed by the Central Government under clause (b) of Section 8" against S.No.s 3 & 4, the following entry shall be substituted namely:-

- S. No.3. Joint Secretary to the Government of India,
 [Social Security Division – Dealing with ESIC]
 Ministry of Labour and Employment,
 New Delhi.
- S. No4. Shri K Dileep Kumar,
 Ex-MLC, Telangana Legislative Council,
 11-13-11/3, Door No.79,
 Road No. 2, Alkapuri,
 Hyderabad 500035. ☎9963027577

[No. U-16012/03/2013-SS-I]

G. VENUGOPAL REDDY, Jt. Secy.